न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 128/2019

1. भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा मैट्रिक्स मॉल तृतीय मंजिल, सेक्टर – 4 जवाहर नगर, जयपुर (राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स शुभश्री पेट्रोलियम एनएच–8, उदयपुर, अहमदाबाद रोड़ के एम स्टोन 331 ग्रांव – कलावत, तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर।
2. श्रीमती सीमा चौधरी पत्नि श्री दिलीप चौधरी 2, राम सिंह जी की बाड़ी, हिरण मगरी, सेक्टर 11, उदयपुर।
3. श्री प्रकाश मान पुत्र श्री सुभाष मान वार्ड नम्बर 10 छाजनी जोहादी के पास, खुडोत तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू।
4. श्री दिलीप कुमार चौधरी पुत्र श्री धर्मपाल 2, राम सिंह जी की बाड़ी, हिरण मगरी, सेक्टर 11, उदयपुर।

—— ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 एतद् पश्चात ''एक्ट'' से संबोधित किया गया है ऋणी/जमानती से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत।

——

उपस्थितः–

1 एडवोकट श्री विजय सिहं चौधरी (भारतीय स्टेट बैंक) –..... प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 29.07.2019

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को कुल रूपये 200.00 लाख की ऋण सुविधा दिनांक 25.03.2013 को नकद साख सीमा के बाबत उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में सम्पति 1. श्री प्रकाश मान पुत्र श्री सुभाष मान के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पति जो भूखण्ड सं. एसपी–1, रीको औधोगिक क्षेत्र, फेज–1 झुंझुनू, जिला झुंझुनू पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। जिसकी चारों ओर की सीमाऐं निम्न है – पूर्व : सड़क, पश्चिम : भूखण्ड सं. एसपी–4 (ए), उत्तर : 12 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण : भूखण्ड सं. एसपी – 2 तथा सम्पति 2. श्री प्रकाश मान पुत्र श्री सुभाष मान के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पति जो भूखण्ड सं. जी–1–66, रीको औधोगिक क्षेत्र, फेज–1 झुंझुनू, जिला झुंझुनू पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर है। जिसकी चारों ओर की सीमाएं निम्न है :– पूर्व : भूखण्ड सं. जी–1–67, पश्चिम : भूखण्ड सं. जी–1–65, उत्तर : 18 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण : भूखण्ड सं. जी –1–73 ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी एवं जमानतियों की सम्पत्तियों को बंधक किया गया था। अप्रार्थी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाते को 27.09.2018 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी के ऋण खाते में रूपये 1,67,11,989.00 दिनांक 05.10.2018 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान न करने पर उक्त खाते को एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी एवं जमानतियों को दिनांक

जिला कलेक्टर झुन्झुनू
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनू

05.10.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई व न ही, बंधक शुदा सम्पत्तियों का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर – अन्दर ऋण राशि रूपये 1,67,11,989.00 दिनांक 05.10.2018 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे से जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानतियों ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं कराई, के कारण एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर , प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा व सम्बन्धित डॉक्यूमेन्टस का कब्जा उपरोक्त बिन्दुओ के अन्तर्गत एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/जमानतियों से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये ज़ाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति (सम्पति 1. श्री प्रकाश मान पुत्र श्री सुभाष मान के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पति जो भूखण्ड सं. एसपी–1, रीको औधोगिक क्षेत्र, फेज–1 झुंझुनू, जिला झुंझुनू पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। जिसकी चारों ओर की सीमाऐं निम्न है – पूर्व : सड़क, पश्चिम : भूखण्ड सं. एसपी–4 (ए), उत्तर : 12 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण : भूखण्ड सं. एसपी – 2 तथा सम्पति 2. श्री प्रकाश मान पुत्र श्री सुभाष मान के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पति जो भूखण्ड सं. जी–1–66, रीको औधोगिक क्षेत्र, फेज–1 झुंझुनू, जिला झुंझुनू पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर है। जिसकी चारों ओर की सीमाएं निम्न है :– पूर्व : भूखण्ड सं. जी–1–67, पश्चिम : भूखण्ड सं. जी–1–65, उत्तर : 18 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण : भूखण्ड सं. जी –1–73) का पजेशन प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनू